न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।
पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय
बी0पी0– 130 / 2026
(करायपरसुराय थाना कांड संख्या– 281 / 2025)

आनंद कुमार बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
29.04.2026	दिनांक– 23.12.2025 से काराधीन आनंद कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन पत्र जो बी0एन0एस0 की धारा– 25(1–B)(a), 26 आर्म्स ऐक्ट के तहत करायपरसुराय थाना कांड संख्या– 281 / 2025 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी उपर के किसी न्यायालय में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है नहीं नंबित है। प्रार्थी के विरूद्ध तीन मुकदमा है जिसमें जमानत पर है। प्रार्थी दिनांक 23.12.2025 से कारावास में है। प्रार्थी निर्दोष है तथा कोई घटना नहीं किया है। प्रार्थी घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था। प्रार्थी घटना के समय किसी कारण से पटना में था। प्रार्थी पढ़ने लिखने वाला छात्र है। उक्त वाद के अन्य अभियुक्त अंशु कुमार ए0 बी0 पी0 नं0– 41 / 26 से ए0डी0जे0 पाँच के यहाँ से हुआ है। अभियुक्त श्रीमान के आदेशों का पूर्णतः पालन करेगा। यह कि आवेदक उचित जमानतदार देने को तैयार है एवं उसे भागने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदकगण का नियमित जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। जमानत के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 22.12.25 को समय करीब 20:45 बजे, पु० अ० नि० रणविजय कुमार, थाना–कराया परसुराय को सोशल मीडिया से सूचना मिली कि आनंद कुमार (पिता– किशोर प्रसाद, सा० चौकी हुड़ारी) पूर्व में फायरिंग कर हथियार छुपाए हुए है। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर पुलिस टीम दनियाँवा–हिलसा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पहुँची। पुलिस बल को देखकर भाग रहे आनंद कुमार (18 वर्ष) को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि पुलिस को देख उसने हथियार झाड़ियों में छुपा दिया है। स्वतंत्र साक्षी न मिलने पर सशस्त्र बल के सिपाहियों को गवाह मानकर तलाशी ली गई। आरोपी की निशानदेही पर झाड़ी से 01 देशी कट्टा (बट की लंबाई 4 अंगुल), 02 जिंदा कारतूस और ओप्पो कंपनी का काला मोबाइल बरामद हुआ। बरामद सामानों की वीडियोग्राफी कर विधिवत जप्ती सूची तैयार की गई। तत्पश्चात, आनंद कुमार को जप्ती सूची की प्रति हस्तगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया और उनके परिजनों को सूचित किया गया। प्राथमिकी कांड दैनिकी एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि काण्ड दैनिकी के पारा 47 के अनुसार प्रार्थी का कुल 3 आपराधिक इतिहास है। कथित तौर पर प्रार्थी के कहने पर झाड़ी से पिस्तौल की बरामदगी हुई है। प्रार्थी दिनांक 23.12.2025 से कारावास में है। आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि पर विचार करते हुए आवेदक की ओर से दाखिल प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन को **स्वीकृत** करते हुए मो0 रू0–10,000 / – (दस हजार) तथा इतने ही समान धन राशि के दो प्रतिभुओं के	

लगातार...	साथ बंधपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। (लेखापित) **ह0/–** **जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V,** **हिलसा (नालंदा)।** **ज्ञापांक.....................दिनांक–.....................** **प्रतिलिपि :–** श्रीमान् अनुराग कुमार जे0एम0एफ0सी0 हिलसा (नालन्दा) को मूल अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। **जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V,** **हिलसा (नालंदा)।**	

Date of Order	29.04.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	30.04.2026
Uploaded by	MD GUFRAN